उपाबंध–X

(अध्याय 5, पैरा 5.13)
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग
नई दिल्ली, 1 अगस्त 2012

का.आ. 1732 (अ). –केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 है.
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे.

2. निर्वाचनों का संचलान नियम, 1961 के प्रारूप 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को स्थान पर नि
प्रारूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :–

"प्रारूप 26"
(नियम 4क देखिए)

दौजाराम

........27- कोलारस........ निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

........विधानसभा........(सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिर्टनिंग ऑफिसर के

समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग क

मैं, ...दौजाराम जाटव....**पुत्र / ~~पुत्री / पत्नी~~ ....भग्गूराम जाटव.... आयु ....54.... वर्ष, जो ग्राम पनवारी पोस्ट कोलारस (डांक का पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं / ~~करती~~ हूं , शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं / ~~करती~~ हूं :–

(1) मैं ....स्वतंत्र अभ्यर्थी.... (*~~राजनैतिक दल~~ का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

दौजाराम

(2) मेरा नाम 27- कोलारस (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या ....के क्रम सं ....पर प्रविष्टि है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नंबर 7697565120 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं दौजाराम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	पति या पत्नी प्रेमवती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आश्रित-1 नहीं धर्मेन्द्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित-2 नहीं मुकेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित -3 नहीं बृजेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किऐ गऐ हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	लागू नहीं
(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गऐ थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	लागू नहीं

दौजाराम

(5) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :–

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिये फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपरायध (अपराधों) से भिन्न, के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहरीं ठहराया गया है और एक वर्ष से अधिक के लिये कारावास का दंडादेष दिया गया है/नहीं दिया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश (आदेश)की तारीख।	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और बर्तमान प्रास्थिति।	लागू नहीं

(7) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगल और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :–

अ. **जंगम आस्तियों के ब्यौरे :**

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

पैजानन